विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-01/2020

मे0 एक्सप्रेस इन्टरप्राईजेस, — **आवेदक**
द्वारा – श्रीमती राजकुमारी कमल कुमार जैन,
एस–42, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने,
इन्दौर (म0प्र0) – 452001

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (ई.क्षेत्र),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर (म.प्र.) – 452003

— **अनावेदकगण**

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर (म.प्र.) – 452003

आदेश
(दिनांक 29.12.2020 को पारित)

01. आवेदक मे0 एक्सप्रेस इन्टरप्राईजेस, द्वारा – श्रीमती राजकुमारी कमल कुमार जैन, एस–42, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इन्दौर (म0प्र0) – 452001 द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षैत्र के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0416018 में मे0 एक्सप्रेस इन्टरप्राईजेस विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (ई.क्षेत्र), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर एवं अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में दिनांक 18.10.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध लिखित अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जो दिनांक 13.01.2020 को प्राप्त हुआ। विद्युत लोकपाल द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राह्य कर प्रकरण क्रमांक एल00–01/2020 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक अधिवक्ता ने अपने लिखित अपीलीय अभ्यावेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं –

APPEAL U/S 42 (6) OF THE INDIAN ELECTRICITY ACT 2003.

Being aggrieved by the order dt. 18-10-18 passed by the Consumer Complaint Redressal Forum, the appellants submit the present appeal, as under:-

BRIEF FACTS OF THE CASE:-

1. The appellant is a partnership firm authorised by the owners of plot/godown situated at J.R.G. logistic park at "DAKACHCHYA" Tehsil Sanwer, district Indore.
2. That the appellant no. 2 is an authorised representative appointed by the appellant no.1 for the purpose of obtaining new H.T. connection from the respondent . In these circumstances , the interest of the appellant no.1 and the appellant no.2 are
3. That the aforesaid logistic park has been developed by J.R.G. Reality in village "DAKACHCHYA" Tehsil Sanwer, district Indore upon survey No. 548/2, 553/2, 553/1, 547/2, 388/3, 388/1, 365/1, 365/2, 383/1/3, 397, 376/2, 385/2, 393, 376/1, 378/1, 389/1, 380, 381/3, 394/1, 394/4, 394/2, 394/3, 391, 400, 384, 378/2, 379/1 and 379/2 by developing the entire logistic park for construction of godown on different plots divided in 118 plots.
4. That initially the appellant has applied for H.T. connection of 500 KVA on 33 KV, for which the supervision charges and service tax etc. have been deposited by the appellant on 28-03-12 to the tune of Rs. 23,50,799/- and consequently a work order has also been issued by the respondent , but the work has not been started or completed by the respondent and in these circumstances, the appellant no.1 , through appellant no.2 has again applied by submitting fresh application on 19/23-02-18/19-03-18 alongwith the fresh application fee for Rs.10,000/-, which was rrejected by the respondent on 21-05-18 and the application fee to the tune of Rs.10,000/- has been forfeited .
5. That the appellants have submitted a complaint to the consumer copmplaint redressal forum , which was rejected by the forum video order at .18-10-18 and, thereafter, vide latter at. 09-11-18 , the appellants fresh application for grant of new H.T. connection of 500 KVA on 33 KK has been rejected.
6. That the appellants have submitted petition on. 21/2019 before the M.P. Electricity Regulatory Commission, Bhopal, but it was disposed of video order at. 30-09-19 by holding that the appellants have not submitted any appeal/represent U/S 42(6) of the Insian Electricity Act 2003 against the order passed by the comsumer redressal forum

and therefore , the appellants are submitting the present appeal / represenation on the following other grounds.

GROUND OF APPEAL /REPRESENATION

i) Because refusal for grant of new H.T. connection and rejection of the appellants application by the forum is illegal , inoperative and without jurisdiction , as it is against the supply code 2013. This code of 2013 permits to take single point connection , as per clause 4.65 and in terif order of 2017-18, it has been specifically mentioned that hte singal point connection may be given under tarrif schedule H.V. 3.3 and according to this teriff schedule, individual and user shall not be left a rate which is existing non domestic commercial tariff and in case of H.T.connection , it will be detemined by the commission .

ii) Because the logistic park is not a residential colony , but it is being developed for the activitives related to transports, logistics and distribution of goods and logistic organisation and management are the two main function of a logistic park . In such logistic part warehouses and godowns are constructed for the purpose of safe storage of good, Inventry information etc. in a specified area and the power requirement is very less for each warehouse, meaning thereby such warehouse / godowns are requiring light and fan only and nothing else and in such circumstances, its tariff can not be compared with the residential or use. Even otherwise, such light and fan are only required , when the aforesid warehouse/godowns are opened for loading and unloading the goods and in there circumstances for most of the times, the aforesaid godowns/warehouses remained closed and there is no use of light and fan for the warehouse/godowns.

iii) Because the state govt. has also published the warehouse and logistic policy in 2012, according to which the main object of the state govt. is to promote the warehouse, logistic parks in m.p. and in such circumstances, non sanction of the single point H.T. connection to the appellants and imposition of higher tariff upon such logistic park is totally invalid and against the basic policy of the state govt.

It is humbly submitted that as per the policy of the state govt , the warehouse/ godowns are to be used for safe storage , as well as , for storing grains /goods and other items .

iv) Because the aforesaid logistic park has been developed by the appellants in a compact area and in such circumstances, ther is no problem in giving the single point H.T. connection.

v) Because the logistic park/warehouse/godowns can not be said to be any industrial activity and such huge consumption of the electricity is not needed for the logistic park/warehouse/godowns, as it is required in any industrial activity.

vi) Because the respondent is calculating the load as if these are the residential plots, whereas, as mentioned above, the plots in the aforesaid logistic park are not domestic/residential plots and therefore, the total load can not be calculated by treating the aforesaid plots as domestic plots and in such circumstances , the load can not be calculated as per clause 4.28 of the supply code 2013. Virtually clause 4.28 is applicable for L.T. supply to multi consumer complex including commercial complex and as mentioned above, the activities in the logistic park can not be said to be either domestic or commercial/industrial and , therefore, in absence of any specific provision in the supply code of 2013, it is required to determined by the hon'ble commission that now the load is to be calculated for logistic/park warehouse/godown and consequently only the tariff can be determined and not otherwise.

vii) Because the respondent has wrongly calculated 4275 KW as a total load , which is totally against the use, as it can not be calculated like residential plots or commercial complex or industrial activities . Needless to add that the load of warehouse/godown are very less, as it is used mainly for light and fan, which is maximum upto 3-4 KW, for which the initial electric lines have also been given by the appellants.

viii) Because looking to the scheme of the entire logistic park , which is godown and warehouse , the appellants initial requirement was 150 KVA , which may as upto 500 KVA and, therefore, it can not be treated as like a residential colony .

ix) Because the appellants have completed the electrification work in the logistic park as per requirement of 11 KV line and distributions transformers.

x) Because of inaction of the respondent with respect to the grant of H.T. connection is illegal, inoperative and without jurisdiction, which is amounting to harassing the owner of warehouses/godowns.

xi) Because the load has been wrongly calculated by the respondent as 4275 KV, which is not the requirement of the appellants, at all. The appellants specifically give undertaking that the electricity provided by the respondent, will be used only for light and fan in the warehouse/godown and it will be never used for residential /commercial complex purpose or for any industrial activities.

It is, therefore, humbly prayed that while setting aside the order it . 18-10-18 passed by the consumer complaint redressal forum, this hon'ble authority may kindly determine the load/tariff for the logistic park /warehouse/godown and should declare that the tariff and load of residential colony /plots/flats/commercial complex/industrial activities are not applicable for the logistic park/warehouse/godown.

03. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 28.01.2020 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता श्री श्रेयराज सक्सेना उपस्थित हुए किन्तु अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आवेदक अधिवक्ता के लिखित आवेदन पर प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 12.02.2020 को नियत की गई।

सुनवाई दिनांक 12.02.2020 की सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री घनश्याम गोयल एवं आवेदक अधिवक्ता श्री श्रेयराज सक्सेना उपस्थित।

''मैं घनश्याम गोयल, पिता श्री हरिकिशन जी गोयल पताः– 56 कैलाश मार्ग, मलारगंज, इन्दौर। मुझे एक्सप्रेस इन्टरप्राईजेज द्वारा अधिकृत किया गया है जिसका ऑथोरिटी लेटर सबमीट किया गया है। सन् 2011 मे जी.आर.जी. रियलिटी, इन्दौर द्वारा ए.बी. रोड़ डकाच्या इन्दौर पहला लाजिस्टीक पार्क डेवलप किया गया था। जिसके संदर्भ में हमको एम.पी.ई.बी से 4275 किलो वॉट का उच्चदाब कनेक्शन सैंक्शन हुआ था। उसके उपरांत जब हमारे यहाँ वेयरहाउस बनना चालू हुआ तो हमें इतने अधिक भार के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं थी तो हमने केवल 500 किलो वॉट के कनेक्शन हेतु एम.पी.ई.बी मे आवेदन दिया। एम.पी.ई.बी का कहना था कि हमारे यहाँ आवासीय कालोनी के अलावा इस प्रकार का सिंगल पॉइंट उच्चदाब कनेक्शन

देने का प्रावधान नहीं है। हमारे द्वारा एम.पी.ई.बी को यह बताया गया कि वेयरहाउस मे 4275 कि0वॉ0 की आवश्कता नहीं है और आपने कॉमर्शियल लोड की गणना करके 4275 कि0वॉ0 का कनेक्शन होने को कहा है जिसकी हमें वेयरहाउस मे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर मे गये। उन्होंने हमें पूरा सुना। विद्युत उपभोक्ता फोरम ने कहा आपकी समस्या सही है। चूंकि हम नियमों से बंधे हैं एवं हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्योंकि उक्त माँग टेरिफ मे निर्धारित नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्धारण एम.पी.ई.आर.सी. भोपाल द्वारा किया जा सकता है। हमारे द्वारा एम.पी.ई.आर.सी. में आवेदन किया गया परन्तु उनके द्वारा हमें प्रक्रिया के अनुपालन मे लोकपाल महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जिसके परिपालन मे हमारे द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस अपील के माध्यम से हम 500 कि0वॉ0 के सिंगल पॉइंट कनेक्शन लेना चाहते हैं या टेरिफ मे वेयरहाउस के लिए पृथक से टेरिफ का निर्धारण किये जाने कि कृपा करें।''

अनावेदक की अनुपस्थिति से प्रकरण में सुनवाई बढ़ाते हुए अगली सुनवाई दिनांक 27.02.2020 नियत की गई।

04. सुनवाई दिनांक 27.02.2020 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री श्रेयराज सक्सेना उपस्थित।

अनावेदक की ओर से श्री डी0के0 श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री (एस.टी.एम.) तथा श्री गणेश देवढ़ा, विधि सहायक, इन्दौर उपस्थित।

प्रश्नाधीन प्रकरण में फोरम से प्राप्त मूल नस्ती का अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई अपनी शिकायत में अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, मप्रपक्षेविविकलि0 इन्दौर को पार्टी बनाया गया था। चूंकि आवेदक का प्रश्नाधीन प्रकरण अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, मप्रपक्षेविविकलि0 इन्दौर से संबंधित है, अतः प्रकरण में अनावेदक अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, मप्रपक्षेविविकलि0 इन्दौर होता है। फोरम ने अपनी कार्यवाही में अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, मप्रपक्षेविविकलि0 इन्दौर के साथ–साथ कार्यपालक निदेशक (ई0क्षे0), मप्रपक्षेविविकलि0, इन्दौर को भी अनावेदक बनाया था। चूंकि आवेदक की मूल शिकायत के अनुसार कार्यपालक निदेशक (ई0क्षे0), मप्रपक्षेविविकलि0, इन्दौर क्षैत्र अनावेदक नहीं थे। इस तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में कार्यपालक निदेशक (ई0क्षे0), मप्रपक्षेविविकलि0, इन्दौर क्षैत्र का नाम अनावेदक की सूची से विलोपित किया जाता है तथा प्रकरण में केवल अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, मप्रपक्षेविविकलि0 इन्दौर ही अनावेदक रहेंगे।

श्री डी0के0 श्रीवास्तव द्वारा अनावेदक अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, इन्दौर का लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 12.02.2020 प्रस्तुत किया गया। अनावेदक प्रतिनिधि की ओर से अनावेदक का पत्र क्रमांक 1647 दिनांक 26.02.2020 प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक ने सुनवाई में अनुपस्थित रहने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने प्रतिनिधि श्री डी0के0 श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री को अधिकृत किया जाना सूचित है।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री डी0के0 श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत अनावेदक के प्रत्युत्तर दिनांक 12.02.2020 को ग्राह्य करने के अलावा उन्हें सुनवाई में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि न तो वे अनावेदक हैं न ही वे प्रकरण के विधिसम्मत नियुक्त प्रभारी अधिकारी थे न ही अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता । अगली सुनवाई दिनांक 06.03.2020 को नियत की गई।

05. अगली सुनवाई दिनांक 06.03.2020 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री श्रेयराज सक्सेना उपस्थित।

अनावेदक की ओर से अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) इन्दौर वृत्त डॉ0 डी0एन0 शर्मा, स्वयं उपस्थित।

पूर्व सुनवाई दिनांक 27.02.2020 को अनावेदक की ओर से लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 12.02.2020 प्रस्तुत किया गया था जिसमें सूचित है कि :–

प्रकरण का समुचित प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के पूर्व सादर निवेदन है, कि विद्युत उपभोक्त शिकायत निवारण, फोरम इंदौर/उज्जैन क्षेत्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 के विरूद्ध नियमानुसार अभ्यावेदन 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत किया जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत अभ्यावेदन म.प्र.वि.नि.आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम–2009 की कंण्ड़िका क्रमांक 3.36 के प्रावधान अनुसार अवधि बाह्य होने सें प्रथम दृष्टिया अपास्त किए जाने योग्य है।

<u>**प्रकरण का समुचित प्रतिउत्तर निम्नानुसार हैः–**</u>

1- यह कि, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इन्दौर (एत्स्मिनपश्चात अनावेदक संबोधित) एवं मेसर्स एक्सप्रेस इन्टरप्राईजेस, इन्दौर (एत्स्मिनपश्चात आवेदक संबोधित) द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल भोपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विद्युत उपभोक्त शिकायत निवारण, फोरम इंदौर/उज्जैन क्षेत्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

2- यह सही है कि आवेदक द्वारा ग्राम डकाच्या तह. सावैर जिला इन्दौर पर विकसित जे. आर.जी. लोजिस्टिक पार्क में 500 किलोवाट के उच्चदाब कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा एक एल.एल.पी. फर्म के रूप में आवेदन किया गया, उक्त

फर्म में श्रीमती ज्योति गर्ग, श्रीमती राजकुमारी जैन एवं श्रीमती श्वेता गोयल भागीदार है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्म के रजिट्रेशन एवं भागीदारी विलेख (Partnership Deed) में फर्म के व्यवसाय के संबंध में किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें की विद्युत की आवश्यकता हो। इससे प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट होता है कि उक्त फर्म का निर्माण विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ही किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनिय है कि पार्क में स्थित गोडाउनों का मूल स्वामित्व आवेदक के पास नहीं था। गोडाउन स्वमियों ने उच्चदाब विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने/ संचारण – संधारण करने हेतु अधिकार पत्र का एल.एल.पी. फर्म को दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में विद्युत कनेक्शन दिया जाना ग्रुप युजर्स को विद्युत प्रदाय किया जाना होगा, जो कि म. प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 कण्डिका 4.65 के अन्तर्गत केवल अवासीय उद्देश्य के लिए हो दिया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं एवं टैरिफ आदेश 2017–2018 में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है। आवेदक मेसर्स एक्सप्रेस इन्टरप्राईजेस द्वारा कमर्शियल उच्चदाब कनेक्शन की मांग की गई है।

(फर्म रजिट्रेशन अभिस्वीकृति, भगीदारी विलेख एवं आम मुख्यतियारनाम प्रदर्श आर–1 संयुक्ततः संलग्न है।)

3- यह सही है कि उक्त लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्राक्कलन क्रमांक 47–000–4242–11–0126 दिनांक 24.11.11 स्वीकृत हुआ था, जो कि आवेदन के साथ संलग्न T&C MAP एवं अन्य सह दस्तावेजों के आधार पर गैर आवासीय लॉजिस्टिक पार्क के बाहय विद्युतिकरण के लिए हुआ था। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.28 के अनुसार भार की गणना करते हुए 4275 किलोवाट भार हेतु प्राक्कलन निर्मित कर स्वीकृत किया गया था। यहॉ यह भी प्रकाश में लाया जाना आवश्यक है कि उस समय जे.आर.जी. लोजिस्टिक पार्क द्वारा उक्त पार्क के बाहय विद्युतीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित था, उक्त कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री(संचा/संधा), इन्दौर द्वारा कार्यादेश क्र. 05 दिनांक 12.04.12 जारी किया गया था। जिसकी सुपर विजन एवं सर्विस टैक्स सहित प्राक्क्लन की कुल रकम रू. 449.76 लाख थी उक्त राशि में से आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	**कार्य का विवरण**	**राशि**
1	सुपरविजन चार्ज	2131278.00
2	सर्विस टेक्स	219521.00
कुल		2350799.00

(प्राक्कलन एवं कार्यदेश की छायाप्रति प्रदर्श आर–2 सयुक्तः संलग्न है।)

4- आवेदक द्वारा विकास कार्य हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया था जोकि वर्तमान में चालू है। (अस्थाई विद्युत संयोग जानकारी पत्रक प्रदर्श आर–3 संलग्न है।)

5- यह सही हो सकता है कि आवेदक को 150 किलोवाट या 500 किलोवाट भार की आवश्यकता हो, परन्तु बाहय विद्युतीकरण हेतु वास्तविक भार की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भूखण्डों के क्षेत्रफल के आधार पर MPERC Supply Code कण्डिका 4.23 के अनुसार भार की गणना करते हुए, वितरण नेटवर्क का विनिर्माण किया जाता है। आवेदक के वास्तविक भार के अनुसार बिलिंग डिमांड एवं खपत के अनुसार ऊर्जा प्रभार इत्यादि लिए जाते हैं। अतः आवदेक के इस तर्क के आधार पर कि उसे ज्यादा भार की आवश्यकता नहीं हैं, वितरण प्रणाली का विनिर्माण नहीं बदला जा सकता, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता के अनुरूप ही होगा। आवेदक के आवदेन के फलस्वरूप उस पर अग्रिम कार्यवाही, यथा दस्तावेजों का कूट परिक्षण तकनीकी साध्यता एवं MPERC Supply Code 2013 के परिपेक्ष्य में उपयुक्तता परीक्षण इत्यादि कार्य किए गए, परन्तु प्रस्ताव पर सहायता न होने के कारण आवेदन अस्वीकृत हुआ।

6- यह सही है कि प्रकरण के कूट परीक्षण हेतु जो भी सह दस्तावेज आवश्यक हुए उनकी मांग आवदेक से की गई तथा आवदेक द्वारा उपलब्ध भी कराए गए परन्तु बिन्दु क्र. 3 में वर्णित प्राक्कलन के स्वीकृत होने तथा कर्यादेश जारी होने की स्थिति के कारण आवेदक द्वारा पुनः उक्त परिसर के 15 भूखण्डों हेतु विद्युत प्रदाय की मांग करना कॉलोनी के आंशिक विद्युतीकरण की श्रेणी में आता है, उक्त कथन कार्यपालक निदेशक (इंक्षे), इन्दौर के पत्र क्रं. 4221 दिनांक 08.05.2018 से भी स्पष्ट होता है। अतः आवेदक द्वारा की गई मांग MPERC Supply Code 2013 के अनुरूप नहीं होने से स्वीकृति योग्य नहीं है। (कार्यपालक निदेशक (इंक्षे), इन्दौर का पत्र प्रदर्श आर–4 संलग्न है।)

प्रार्थनाः–

उपरोक्तानुसार उल्लेखित आधारों के अलोक में एवं म.प्र.वि.नि.आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम–2009 की कंण्ड़िका क्रमांक 3.36 के प्रावधान अनुसार अभ्यावेदन अवधि बाह्य होने के कारण सें अभ्यावेदक के अभ्यावेदन को निरस्त करने की कृपा करें।

अनावेदक के कथनों आवेदक के तर्को पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई कथन नहीं किया गया ना ही उसका कोई विरोध किया गया । उनके द्वारा केवल यह कथन किया गया कि आवेदक की अपील को विद्युत लोकपाल द्वारा ग्राह्य किए जाने के संबंध में संबंधित विनियम का अध्ययन कर अपना पक्ष अगली पेशी में प्रस्तुत करेंगे ।

उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक 16.04.2020 नियत की गई तथा आवेदक को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील की ग्राह्यता संबंधी तर्क पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. लॉक डाउन के कारण दिनांक 16.04.2020 की सुनवाई आयोजित नही की जा सकी । कोविड–19 तथा लॉक डाउन के कारण संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अगस्त 2020 तक कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई। प्रकरण में अगली सुनवाई 15.09.2020 को आयोजित की गई किन्तु आयोग कार्यालय का एक स्टॉफ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कार्यालय बंद रहा और सुनवाई नहीं हो सकी। कोविड–19 के चलते अगली सुनवाई की दिनांक तय करने के लिए दिनांक 21.10.2020 को दूरभाष पर सम्पर्क कर जानकारी चाही गई। दोनों पक्षों ने सूचित किया कि उनके द्वारा प्रकरण में अंतिम प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है और उन्हें आगे कोई कथन नहीं करना है अतः आदेश पारित कर दिया जावे। अनावेदक की ओर से इस आशय की पुष्टि उनके पत्र क्र. 7363 से की गई जो दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक की ओर से इस बारे में लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उभयपक्षों (आवेदक अधिवक्ता तथा अनावेदक) द्वारा आगे सुनवाई नहीं चाहने पर प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

7. आवेदक की अपील तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों/साक्ष्यों के प्रकाश में प्रकरण की निम्नानुसार विवेचना की गई।

(1) आवेदक ने अपनी अपील में तर्क प्रस्तुत किया है कि :–

(i) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.65 और वर्ष 2017–18 के टैरिफ आदेश में यह विशिष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि टैरिफ शेड्यूल के HV 3-3 के अन्तर्गत एकल बिन्दु संयोजन प्रदान किया जा सकता है और इस टैरिफ शेड्यूल के अनुसार वैयक्तिक उपभोक्ताओं को ऐसी विद्युत दर अधिरोपित नहीं की जावेगी जो कि निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में गैर घरेलू वाणिज्यिक विद्युत दर से अधिक नहीं होगी तथा उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में यह आयोग द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(ii) क्योंकि राज्य शासन ने भी 2012 में वेअर हाउस और लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की है जिसके अनुसार राज्य शासन का मुख्य उद्देश्य म.प्र. में वेअर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क को बढ़ावा देना है और ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को एकल बिंदु उच्चदाब कनेक्शन स्वीकृत नहीं करना तथा ऐसे लॉजिस्टिक पार्क पर उच्चतर विद्युत दर अधिरोपित करना पूर्णतया अनुचित तथा राज्य शासन की मूल नीति के विपरीत हैं।

(2) अनावेदकों की ओर से आवेदक की अपील पर निम्न कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं :

i) आवेदक ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए बाह्य विद्युतीकरण का प्रकरण दिनांक 24.11.2011 स्वीकृत किया गया था और आवेदक द्वारा स्वीकृत प्राक्कल अनुसार सुपरविजन एवं सर्विस टैक्स की कुल 23.51 लाख रू. की राशि भी जमा करवाई थी स्वीकृत प्राक्कलन में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.28 के अनुसार विद्युत भार की गणना कुल भार 4275 किलोवॉट निकाला गया था । आवेदक द्वारा विकास कार्य हेतु स्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था, जो कि वर्तमान में चालू हैं ।

ii) उक्त प्राक्कलन के स्वीकृत होने तथा कार्यादेश जारी होने की स्थिति के कारण पुनः उक्त परिसर के 15 भू–खण्डों हेतु विद्युत की मांग करना कॉलोनी की आंशिक विद्युतीकरण की श्रेणी में आता है जो कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुरूप नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।

iii) फोरम के आदेश दिनांक 18.10.2018 के विरूद्ध नियमानुसार आवेदक को इस आदेश दिनांक से 60 दिन की समयावधि में विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करना थी किन्तु आवेदक ने एक वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद अपील प्रस्तुत की है जिसको ग्राह्य किया जाना 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कण्डिका क्र0 3.36 के प्रावधान अनुसार विद्युत लोकपाल के अधिकार क्षैत्र से बाहर है। इसके साथ ही माननीय नियामक आयोग ने भी विषयांतर्गत आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद की सुनवाई कर जारी अपने आदेश दिनांक 30.09.2019 में विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के उपलब्ध विधिक विकल्प का उपयोग नहीं करते हुए सीधे आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सहमत न होते हुए आवेदक का वाद निरस्त किया है । अपने आदेश में माननीय आयोग ने आवेदक को विद्युत लोकपाल के समक्ष विलंब से अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई स्वीकृति या निर्देश नहीं दिया है अतः प्रस्तुत अपील विधि अनुसार निश्चित (60+60) 120 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने से इसको ग्राह्य किया जाना विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार में नहीं होकर सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है । इसके साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर में निम्न कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं ।

iv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्म के रजिट्रेशन एवं भागीदारी विलेख (Partnership Deed) में फर्म के व्यवसाय के संबंध में किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें की विद्युत की आवश्यकता हो। इससे प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट होता है कि उक्त फर्म का निर्माण विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ही किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनिय है कि पार्क में स्थित गोडाउनों का मूल स्वामित्व आवेदक के पास नहीं था। गोडाउन स्वमियों ने उच्चदाब विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने/संचारण–संधारण करने हेतु अधिकार पत्र का एल. एल.पी. फर्म को दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में विद्युत कनेक्शन दिया जाना ग्रुप युजर्स को विद्युत प्रदाय किया जाना होगा, जो कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 कण्डिका 4.65 के अन्तर्गत केवल अवासीय उद्देश्य के लिए हो दिया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं एवं टैरिफ आदेश 2017–2018 में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है।

iv) हो सकता है कि आवेदक को 150 किलोवाट या 500 किलोवाट भार की आवश्यकता हो, परन्तु बाहय विद्युतीकरण हेतु वास्तविक भार की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भूखण्डों के क्षेत्रफल के आधार पर MPERC Supply Code कण्डिका 4.23 के अनुसार भार की गणना करते हुए, वितरण नेटवर्क का विनिर्माण किया जाता है। आवेदक के वास्तविक भार के अनुसार बिलिंग डिमांड एवं खपत के अनुसार ऊर्जा प्रभार इत्यादि लिए जाते हैं। अतः आवदेक के इस तर्क के आधार पर कि उसे ज्यादा भार की आवश्यकता नहीं हैं, वितरण प्रणाली का विनिर्माण नहीं बदला जा सकता, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता के अनुरूप ही होगा। आवेदक के आवदेन के फलस्वरूप उस पर अग्रिम कार्यवाही, यथा दस्तावेजों का कूट परिक्षण तकनीकी साध्यता एवं MPERC Supply Code 2013 के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्तता परीक्षण इत्यादि कार्य किए गए, परन्तु प्रस्ताव पर सहायता न होने के कारण आवेदन अस्वीकृत हुआ।

(3) उक्त संबंध में सर्वप्रथम फोरम के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0416018 में फोरम से प्राप्त प्रकरण की मूल नस्ती में उपलब्ध आवेदक की शिकायत का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदक ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :–

> *"हमारे द्वारा डकाच्या तहसील सांवेर जिला इन्दौर में विकसित जे आर जी लॉजिस्टिक पार्क में 500 किलोवाट के एच.टी. कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है। इस पार्क के लिए म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा प्राक्कलन क्र. 47–000–4242–11–0126 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा 4275 किलोवाट का विद्युत भार स्वीकृत किया गया है। इस पार्क में केवल वर्तमान में 150 किलोवाट*

एवं भविष्य में सम्पूर्ण निर्माण कार्य होने पर भी अधिकतम 500 किलोवाट विद्युत संयोजन की ही आवश्यकता होगी, इस कारण से हमारे द्वारा जे.आर.जी. लाजिस्टिक पार्क में 500 किलोवाट एच.टी. कनेक्शन हेतु एक आवेदन–पत्र श्री अधीक्षण अभियंता महोदय के समक्ष दिनांक 19.02.2018 को प्रस्तुत किया गया। किन्तु दिनांक 21.05.2018 को श्रीमान अधीक्षण यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. द्वारा आदेश दिया गया कि संपूर्ण लाजिस्टिक पार्क के लिए 500 किलो वाट का विद्युत कनेक्शन आंशिक विद्युतीकरण की परिधि में आता है, एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित विद्युत प्रदाय संहिता 2013 गजट नोटिफिकेशन 2009 (आर.जी.–31) के नियमों के अनुरूप कंपनी के हित में नहीं है इसलिए आपका आवेदन निरस्त किया जाता है एवं आपके द्वारा आवेदक के साथ जमा की राशि रूपए 10,000.00 जप्त की जाती है।

श्रीमान् से हमारा निवेदन है कि लाजिस्टिक पार्क में विद्युतीकरण का कार्य जिसमें पोल एवं वायरिंग आदि कार्य हमारे द्वारा पूर्ण कर दिया गया है तथा पूरे लाजिस्टिक पार्क में निर्मित किए जाने वाले गोडाउन का लगभग 35 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है, जिसमें हमें केवल 150 किलो वाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है तथा भविष्य में समस्त निर्माण कार्य हो जाने के बाद भी हमें अधिकतम 350 से 400 किलोवाट की आवश्यकता होगी, किन्तु हमें 4275 एल.टी. किलोवाट विद्युत संयोजन विद्युत कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत कर दिया गया है, जिसकी हमें कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे द्वारा 500 किलोवाट एच.टी. कनेक्शन हेतु आवेदन दिया गया है, इसके स्थान पर 4275 किलोवाट का विद्युत संयोजन स्वीकृत कर दिया गया जो कि हमारे साथ अन्यायपूर्ण है तथा इस कार्य का व्यय भी हमारे द्वारा वहन किया जाना असंभव है अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हमें अधिकतम 500 किलोवाट एच.टी. कनेक्शन स्वीकृत कर न्याय दिया जावे।''

उक्त शिकायत पर फोरम द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर दिनांक 18.10.2018 को *निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :–*

01. परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है ।

02. अभिमत में उल्लेखानुसार परिवादी द्वारा की गई मांग, कि उसे उच्चदाब सिंगल पाईंट संयोजन जो कि टैरिफ आर्डर एच.व्ही. 3.3 के अन्तर्गत दिया जावे, उचित नहीं है क्योंकि विद्युत कनेक्शन का दिया जाना ग्रुप युजर्स को विद्युत प्रदाय किया जाना होगा, जो कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.65 के अन्तर्गत आवासीय उद्देश्य के लिए ही दिया जा सकता है। लॉजिस्टिक पार्क एक व्यावसायिक गतिविधि/प्रयोजन है ।

उक्त अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक ने अनावेदक द्वारा लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4275 किलोवाट विद्युत भार की गणना को अन्यायपूर्ण ठहराते हुए इसको 500

किलोवाट तक सीमित करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की थी, जबकि आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में फोरम के आदेश को निरस्त करने तथा लॉजिस्टिक पार्क/गोडाउन/वेअर हाउस के लिए विद्युत भार तथा टैरिफ निर्धारण किए जाने की मांग के साथ साथ यह निर्णित किए जाने की मांग की गई है कि आवासीय कालोनी/भूखण्डों/प्रकोष्ठों/वाणिज्यिक काम्पलेक्स/ औद्योगिक गतिविधियों के लिए टैरिफ तथा भार लॉजिस्टिक पार्क/वेअर हाउस/ गोडाउन के लिए लागू नहीं है ।

फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत तथा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अपील के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह सिद्ध होता है कि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष की गई शिकायत के विवाद के बिन्दुओं को अपील में बदल दिया गया है और नए बिन्दुओं पर अपील प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार योग्य नहीं है और आवेदक अपनी मूल शिकायत के विवाद के बिन्दुओं की अपील में बदले जाने का अधिकारी नहीं है ।

जहां तक भार की गणना का प्रश्न है अनावेदक की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हो सकता है कि आवेदक को 150 किलोवाट या 500 किलोवाट भार की आवश्यकता हो, परन्तु बाहय विद्युतीकरण हेतु वास्तविक भार की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भूखण्डों के क्षेत्रफल के आधार पर MPERC Supply Code कण्डिका 4.23 के अनुसार भार की गणना करते हुए, वितरण नेटवर्क का विनिर्माण किया जाता है। आवेदक के वास्तविक भार के अनुसार बिलिंग डिमांड एवं खपत के अनुसार ऊर्जा प्रभार इत्यादि लिए जाते हैं। अतः आवदेक के इस तर्क के आधार पर कि उसे ज्यादा भार की आवश्यकता नहीं हैं, वितरण प्रणाली का विनिर्माण नहीं बदला जा सकता, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता के अनुरूप ही होगा।

(4) आवेदक तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.65 एवं 4.66 का तथा ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण – प्रथम) विनियम 2009 के विनियम 3.36 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार उद्धृत हैं :–

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 :

*4.65 समूह प्रयोक्ता को विद्युत प्रदाय संबंधी निबंधन तथा शर्तें (**Terms and conditions of supply to Group user**) :*

किसी समूह प्रयोक्ता की योग्यता : समूह प्रयोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आवासीय प्रयोजन हेतु किसी एकल बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4.66 विद्युत आपूर्ति का उपयोग प्राथमिक तौर पर आवासीय प्रयोजन के लिये समूह प्रयोक्ता के सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी भारों को सम्मिलित कर, जैसे कि, उत्थापक व्यवस्था (lift), जलप्रदाय की उद्‌वहन व्यवस्था हेतु पंपों के उपयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिये किया जाएगा। समूह प्रयोक्ता संयोजित भार के साथ–साथ सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को संयोजन प्राप्ति के समय अथवा संविदा मांग (Contract Demand) में वृद्धि करते समय सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त भार का भौतिक सत्यापन कर सकेगा। यदि सत्यापन के समय गैर–आवासीय गतिविधि का उपयोग होना पाया जाता है जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में अनुज्ञेय नहीं किया गया था तो ऐसी दशा में इसे विद्युत का अनधिकृत उपयोग माना जाएगा तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत इस संबंध में उपयुक्त अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण – प्रथम) विनियम 2009 –

3.36 *यदि शिकायतकर्ता, फोरम के आदेश या शिकायत के निराकरण न किये जाने से व्यथित है, तो वह अंतिम आदेश या फोरम द्वारा शिकायत निवारण हेतु अधिकथित अवधि की समाप्ति से साठ दिवस के भीतर परिशिष्ट में निर्धारित प्ररूप में आयोग द्वारा नियुक्त/नामोद्दिष्ट विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन दे सकेगा। बशर्ते यह कि विद्युत लोकपाल अभ्यावेदन को साठ दिवस की अवसान अवधि के उपरान्त 60 दिवस से अनाधिक अवधि के भीतर अभ्यावेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है तथा कारण लिखते हुए अभिलेखित करता है कि व्यथित व्यक्ति के पास अभ्यावेदन कथित साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान थे।*

उक्त विनियमों के अवलोकन से अनावेदक के तर्कों की पुष्टि होती है।

8. उक्त विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि –

1. आवेदक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में लॉजिस्टिक पार्क के लिए टैरिफ निर्धारण की मांग उनके द्वारा फोरम में प्रस्तुत मूल शिकायत में नहीं की गई थी अतः अपील के इस बिन्दु को स्थापित विधि अनुसार ग्राह्य नहीं किया जा सकता है अतः इस पर विचार करना या निर्णय दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है और इसे बिना किसी निर्णय के अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

2. गैर घरेलु प्रयोजन के लॉजिस्टिक पार्क के लिए विद्युत भार की गणना हेतु म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में कोई मार्गदर्शन नियम प्रतिपादित नहीं किए गए हैं । ऐसे में अनावेदक का तर्क कि पार्क के बाह्य विद्युतीकरण के लिए वास्तविक भार की आवश्यकता नहीं होती अपितु भूखण्डों के क्षैत्रफल के आधार पर विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 4. 23 के अनुसार भार की गणना करते हुए वितरण नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, उचित प्रतीत होता है।

3. आवेदक द्वारा फोरम के आदेश दिनांक 18.10.2018 के विरूद्ध लगभग 15 माह के समय बाद यह सूचित करते हुए प्रस्तुत की गई है कि माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्र. 21/2019 में माननीय आयोग ने यह निर्णय देते हुए याचिका का निपटारा किया है कि अपीलार्थी द्वारा विद्युत अधिनियम 2013 की धारा 42 (6) के अन्तर्गत कोई अपील/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में माननीय आयोग के उक्त आदेश दिनांक का 30.09.2019 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि माननीय आयोग ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित नहीं किया है ना ही इसमें हुए विलम्ब को माफ करने संबंधी निर्णय दिया है । इससे आवेदक का कथन सही नहीं पाया जाता है और इसे विलंब से अपील प्रस्तुत करने का उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है। वैसे भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2009 के विनियम 2009 के विनियम 3. 36 के प्रावधान अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की और इस अपील पर विचार कर निर्णय किया जाना विद्युत लोकपाल के क्षैत्रान्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रश्नाधीन अपील को बिना किसी निर्णय के खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

4. म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के विनियम 4.65 एवं 4.66 के अवलोकन से यह निर्विवादित रूप से सिद्ध होता है कि समूह प्रयोक्ताओं की अनुज्ञप्तिधारी से केवल और केवल आवासीय प्रयोजन हेतु ही किसी एकल बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता होती है। प्रश्नाधीन प्रकरण में विद्युत आपूर्ति की मांग एकल बिन्दु पर गैर घरेलु प्रयोजन के लिए की जा रही है जो कि माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से मान्य नहीं की जा सकती है।

प्रकरण में की गई विवेचना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील बिना किसी निर्णय के खारिज की जाती है और फोरम का आदेश दिनांक 18.10.2018 यथावत् रखे जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त होता है।

9. उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। उभयपक्षों को आदेश की निःशुल्क प्रति प्रेषित हो और आदेश की एक प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल